

29/08/2024

कावली पैरा 333। वकील उमयपत्र  
 लाकर है। गत पैरा पर उपायित  
 वकील पत्रकार द्वारा प्रस्तुत बच  
 सब कावली, कावली में प्रस्तुत  
 देवतादेवात का विधिभंगगत अवलोकन  
 उपायित उमयपत्रों को मूल बाद के  
 अंतिम विवरण तक अस्थायी विवेचना  
 से चार्ज किया जाना व्यापारित प्रतीत  
 होता है। अतः प्रथम पर वाक्य अस्थायी  
 विवेचना अं. ध. 212 राज. काश्तकारी आदि,  
 1955 स्वीकार किया जाकर उमयपत्रों को  
 मूल बाद के विवरण तक अस्थायी विवेचना  
 से चार्ज किया जाना है। बाद बर्तित आरजे  
 ख. नं. 185, 186, 187, 200 सिता-4 कुल वसना  
 उ. 5406 हेक्टर वाले इस विशेषी खुद, तलकी  
 फुल्लेरा, घिला-अधुवर सुधीन राज. की मौका  
 व रेकार्ड की प्रशासनी बनाने रखे। विस्तार  
 विधि पत्रक से टैमिड होकर उमयित सिता  
 है। तदुपर पत्रक से जारी है। कावली  
 फौजल सुधार होकर बाद तलकील दारिद  
 देणार है।

उपखण्ड अधिकारी  
 सांभर लेक